न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

(3)

पीठासीन अधिकारी का नामः—रूक्मणि रियार सिहाग, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—02/2023

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना गोलूवाला जिला हनुमानगढ़

--स्टेट

बनाम

अनिल कुमार उर्फ शेरू पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अरोड़ा उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 01 गोलूवाला निवादान पुलिस थाना गोलूवाला, जिला हनुमानगढ।

--गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. गैरसायल स्वयं।

निर्णय **दिनांकः—26.10.2023**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा मार्फत पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल अनिल कुमार उर्फ शेरू पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अरोड़ा उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 01 गोलूवाला निवादान पुलिस थाना गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। यह सट्टा की खाईवाली करने का आदि है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली कर आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधी को बढ़ावा मिल रहा है। यह सट्टे खाईवाली की आपराधिक गतिविधियां में काफी सक्रिय है। गोलूवाला निवादान के लोग इससे काफी भयभीत रहते है इसको इस सट्टा की खाईवाली का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की कस्बा में आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, गोलूवाला के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 2 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें दोनों अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं. मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1.	मु. नं. 280 दिनांक 06.10.2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड
2.	मु. नं. 302 दिनांक 20.10.2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। इसकी ऐसी गतिविधियों से आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल अनिल कुमार उर्फ शेरू पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अरोड़ा उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 01 गोलूवाला निवादान पुलिस थाना गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल आज दिनांक 26.10.2023 को स्वयं उपस्थित व इस्तगासा में वर्णित जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

गैरसायल ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि थानाधिकारी पुलिस थाना द्वारा मेरे विरूद्ध यह इस्तागासा दायर किया गया है जिसमें वर्णित जुर्म धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट को स्वीकार करता हुँ। मैं उक्त इस्तगासा में वर्णित जुर्म के सम्बन्ध में कोई जवाब व साक्ष्य आदि पेश नहीं करना चाहता। भविष्य में कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के सभी मुकदमों में दोष सिद्ध होने के तथ्य को स्वीकार करने पर सजायाब किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(v) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिभाषा में कवर होता है किन्तु जिला या क्षेत्र से बाहर किये जाने हेतु राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(क) की शर्त के साथ 3(ख) में वर्णित शर्तो का भी होना जरूरी है अर्थात व्यक्ति के गुण्डा होने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि वह विनिर्दिष्ट अपराध/कृत्य को करने में निरन्तर रत रहे तथा उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों से किसी व्यक्ति या सम्पति को खतरा या नुकसान होने की सम्भावना हो।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है की गैरसायल के विरूद्व दो मुकदमें दर्ज हुए है। दोनों मुकदमो में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के साथ संलग्न रोजनामचा के अनुसार दिनांक 19.03.2023 को यह रपट दर्ज की गई है कि गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा बताया कि गांव का अनिल कुमार उर्फ शेरू पुत्र श्री अशोक कुमार जो जुआ सट्टा करनें में आदि है जिन पर पुलिस द्वारा कार्यवाही भी गई है परन्तु फिर भी समाज मे माहौल खराब कर रहे है तथा लोगों का इनके प्रति काफी रोष है जिसकी उक्त गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। गैरसायल का ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है।

गैरसायल को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित एवं प्रर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु गैरसायल द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर सायल पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डंन किया जा सके। प्रकरण को देखते हुए गैरसायल इस प्रकार के अपराधिक कृत्य को भविष्य में नहीं करेगा, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। मामले की परिस्थितियों के आधार पर गैरसायल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार है, गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

अतः गैरसायल अनिल कुमार उर्फ शेरू पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अरोड़ा उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 01 गोलूवाला निवादान पुलिस थाना गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 28 दिवस की अवधि तक जिले से बाहर चले जाने हेतु आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज दिनांक 26.10.2023 को सांय पांच बजे थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला को सूचित करते हुए हनुमानगढ़ जिले की सीमा से बाहर चला जावे तथा गैरसायल निष्कासन अवधि में जिस जिले के स्थान पर निवास करेगा उस स्थान के थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सूचित करेगा। निष्कासन अवधि समाप्ति पर सम्बन्धित थानाधिकारी को अवगत करवाकर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगा तथा वापसी पर थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला को सूचित करेगा। सम्बन्धित थानाधिकारी गैरसायल की दैनिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखेगा। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला को पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़